न्यायालय अपर कलक्टर, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी–श्री ओ.पी.बिश्नोई आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 07/2014

अपीलांट		**रेस्पोडेंटस**
पूनमाराम पुत्र सोनाराम जाति जाट निवासी पाना देवड़ा तहसील गिड़ा	**बनाम**	1. उप तहसीलदार गिड़ा 2. विशनाराम उर्फ वेहनाराम पुत्र सोनाराम 3. रूपाराम पुत्र उदाराम जाति जाट निवासी पाना देवड़ा हाल खारापार 4. अमराराम पुत्र जेताराम 5. पुरखाराम पुत्र जेताराम 6. चैनाराम पुत्र जेताराम 7. चनणी बेवा जेताराम 8. बगताराम पुत्र हेमाराम जाति जाट निवासी पाना देवड़ा तहसील गिड़ा

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम विरूद्व नामान्तरकरण संख्या 53 दिनांक 19.12.2001 उप तहसीलदार गिड़ा

उपस्थित–
1. श्री भंवरलाल एडवोकेट अपीलांट की ओर से।
2. अपीलांट उपस्थित।
3. रेस्पाडेन्टस सं. 01 की ओर से तहसीलदार गिड़ा उपस्थित।
4. रेस्पोडेन्टस सं. 02 से 08 अनुपस्थित।

न्यायालय अपर कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

निर्णय **दिनांक 30.6.2016**

1. संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार हैं कि अपीलांट व रेस्पोडेंट सख्या 02 के दादा व रेस्पोडेंट संख्या 03 के पिता उदा के नाम से ग्राम खारापार व पाना देवडा में खातेदारी भूमि आई हुई है। ग्राम खारापार के खेत खसरा नंबर 153 रकबा 0.02 बीघा गैर मुमकिन, खसरा नंबर 154 रकबा 12.18 बीघा व पाना देवड़ा के खेत खसरा नंबर 42 रकबा 06.04 बीघा व खसरा नंबर 46 रकबा 72.08 बीघा आई हुई है, जो पूर्व में स्व. उदाराम के पुत्र

अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)

सोनाराम व रूपाराम के नाम दर्ज थी। सोनाराम के फौतगी पर ग्राम खारापार के खेतो में दोनो भाईयो का नाम दर्ज कर लिया परन्तु मौजा पाना देवड़ा के खेतो में सोनाराम के फौत होने पर प्रशासन गांवों के संग अभियान में सोनाराम के फौतगी म्यूटेशन में अकेले विशनाराम का नाम दर्ज किया गया जबकि अपीलांट व रेस्पोडेंट सं. 2 आपस में सगे भाई है एवं बराबर के हिस्सेदार है। अपीलांट ने अपीलाधीन आदेश का पूर्व में ज्ञान नहीं होने से जानकारी की तिथि से अपील को अंदर म्याद सुमार करने का निवेदन किया। अपीलांटस ने अपील के साथ धारा 5 परिसीमा अधिनियम का प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र भी पेश किया।

2. हमने अपीलांट की अपील को दर्ज रजिस्टर कर, रेस्पोडेंटस को सम्मन जारी किये एवं अपीलाधीन पत्रावली तलब की। पत्रावली पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार राजस्व कोर्ट केम्प गिड़ा में पेश हुई। जिसके लिए पक्षकारान एवं अभिभाषक को नोटिस की तामीली करा दी गई है। अपीलांट उपस्थित। रेस्पोडेंटस संख्या 01 की ओर से तहसीलदार गिड़ा उपस्थित हुए। रेस्पोडेंट बावजूद नोटिस तामील के अनुपस्थित रहे।

3. हमने उभय पक्षो की बहस सुनी। अपीलांट के विद्वान वकील ने जाहिर किया कि ग्राम पाना देवड़ा के खेत खसरा नंबर 42 व 46 पुश्तैनी भूमि है, अपीलांट के पिता सोनाराम के फौत हो जाने के पश्चात विशनाराम के साथ–साथ अपीलांट का नाम भी नामान्तरकरण संख्या 53 में दर्ज किया जाना चाहिये था परन्तु उप तहसीलदार गिड़ा द्वारा अपीलांट का नाम उक्त नामान्तरकरण में दर्ज नहीं करके अपीलांट के साथ अन्याय किया गया है। उक्त पाना देवड़ा के खसरा नंबर 42 व 46 के खेत की आधी भूमि पर अपीलाट का कब्जा काश्त है एवं रहवासी ढाणी भी बनी हुई है। तहसीलदार गिड़ा द्वारा जाहिर किया गया कि नामान्तरकरण संख्या 53 दिनांक 19.12.2001 को भरा गया, अपीलांट को इसमें अपना नाम दर्ज नहीं होने की जानकारी लगभग 13 साल बाद दिनांक 10.8.2014 को हुई, अपीलांट का यह कथन उचित प्रतीत नहीं होता है। इतने लम्बी अवधि के बाद दायर अपील खारिज किये जाने योग्य है।

4. पत्रावली, उस पर उपलब्ध अभिलेख का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। अपीलांट ने यह राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत उप तहसीलदार गिड़ा द्वारा मौजा पाना देवड़ा के खेत खसरा नंबर 42 व 46 के संबंध में पारित नामान्तरकरण संख्या 53 दिनांक 19.12.2001 को निरस्त करने हेतु पेश की है। उप तहसीलदार गिड़ा द्वारा पारित आदेश के विरूद्व राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के

न्यायालय अपर कलक्टर बाड़मेर (राज.)

अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)

प्रावधानों के तहत अपील पेश करने की अवधि 30 दिन निर्धारित की गई है। अपीलांट ने यह अपील उप तहसीलदार गिड़ा द्वारा दिनांक 19.12.2001 को पारित आदेश के विरूद्व 13 साल बाद दिनांक 9.9.2014 को हमारे समक्ष पेश की है। राजस्व नियमों के अन्तर्गत हर चौथे वर्ष नई जमाबन्दी बनती है व हर वर्ष मजमे आम में जमाबन्दी का पठन किया जाता है। वर्ष 2001 के बाद राज्य सरकार ने कई बार राजस्व अभियान आयोजित किये, हर अभ्सियान में जमाबन्दी का पठन होता है, फिर भी अपीलांट का यह कथन कि अपीलांट को अपीलाधीन आदेश का ज्ञान दिनांक 10.8.2014 को हुआ है, मानने योग्य नहीं है। अपीलांट को धारा 5 लिमिटेशन एक्ट के प्रार्थना पत्र में यह स्पष्ट बताना था कि उसे अपीलाधीन आदेश का ज्ञान किस प्रकार से एवं किसके द्वारा हुआ, मगर अपीलांटन ने अपने प्रार्थना पत्र में कहीं भी यह स्पष्ट नहीं किया है। अपीलांट को मयाद को क्षमा करने हेतु विलम्ब के प्रत्येक दिन का स्पष्टीकरण देना चाहिये था परन्तु इस मामले में अपीलांट के अधिवक्ता मयाद को कन्डोन करने हेतु कोई सन्तोषजनक कारण नहीं बता पाये है। इन सभी तथ्यों से स्पष्ट हैं कि अपीलांट को अपीलाधीन आदेश का ज्ञान पूर्व मे हो चुका था। अपीलांटि ने यह अपील काफी विलम्ब से पेश की है व 15 साल की लम्बी अवधि को क्षमा करने हेतु कोई युक्तियुक्त आधार अधिवक्ता नहीं बता पाये है। अतः अपील मयाद बाहर होने से भी खारिज योग्य है।

5. उपरोक्त विवेचन के फलस्वरूप अपीलांट की अपील सारहीन होने एवं मयाद बाहर होने से खारिज की जाती हैं एव उप तहसीलदार गिड़ा द्वारा मौजा पाना देवड़ा के नामान्तरकरण संख्या 57 पर पारित आदेश दिनांक 19.12.2001 यथावत रखा जाना है।

न्यायालय अपर कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

(ओ.पी.बिश्नाई)
अपर कलक्टर, बाड़मेर
अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)

आदेश कोर्ट केम्प गिड़ा में आज दिनांक 30.6.2016 को खुले में सुनाया गया।

अपर कलक्टर, बाड़मेर
अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)